डीजी परिपत्र संख्या–34/2023

विजय कुमार,
आई0पी0एस0,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

पुलिस भवन, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ
दिनांकः लखनऊः सितम्बर, 09, 2023

विषय :– प्रदेश में साइबर अपराध पर नियंत्रण हेतु प्रदेश के प्रत्येक थाने पर साइबर सेल के गठन विषयक।

प्रिय महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत है कि वर्तमान समय में स्मार्ट फोन, कम्प्यूटर, इन्टरनेट की उपयोगिता के दृष्टिगत जहॉ एक ओर इसके सदुपयोग में वृद्धि हो रही है वहीं दूसरी ओर इसका दुरूपयोग अपराधिक कृत्यों में भी हो रहा है। बड़े शहरों के अलावा राज्य के छोटे शहरों, कस्बों एवं ग्रामीण इलाकों में भी साइबर अपराधों की घटनायें तेजी से बढ़ रही है।

साइबर अपराध में संलिप्त अपराधियों, आतंकवादी संगठनों द्वारा की जा सकने वाली घटनाओं, केडिट कार्ड फ्राड, एटीएम/डेविट कार्ड फ्राड, इन्टरनेट बैंकिग फ्राड, इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर फ्राड, मनी लांड्रिग, ऑन लाइन शॉपिंग फ्राड, कम्प्यूटरीकृत बैंक खातों में हेरा–फेरी कर धन के गबन व राज्य सरकार एवं भारत सरकार के महत्वपूर्ण विभागों एवं अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की वेबसाइट को हैक करने, इन्टरनेट पर अश्लील सामग्री की रिकार्डिग, संग्रहण एवं आदान–प्रदान आदि जैसे साइबर अपराधों की रोकथाम करना तथा जॉच/विवेचनाओं का सामयिक निस्तारण करके अपराधियों को दण्ड़ित कराया जाना पुलिस का एक अति महत्वपूर्ण दायित्व है।

किन्तु ऐसे अपराधों की विवेचना एवं पर्यवेक्षण हेतु आई0टी0 विशेषज्ञ, विशेषज्ञता प्राप्त विवेचक एवं अन्य कर्मियों के अभाव में साइबर काइम के अपराधों की विवेचना, पर्यवेक्षण एवं अभियोजन में उपयुक्त कार्यवाही नहीं हो पा रही है साथ ही अपराधियों तक पहुचनें में विलम्ब भी हो रहा है।

आप सभी सहमत होंगे कि साइबर अपराधों में अप्रत्याशित वृद्धि के दृष्टिगत विशेष साइबर काइम पुलिस स्टेशन स्थापित करने के साथ जनपदों में क्रियाशील थानों में साइबर काइम का पंजीकरण एवं विवेचना तथा साइबर अपराधियों पर कार्यवाही आम जनता के लिए अधिक सुविधाजनक होगा तथा कार्यवाही में भी गतिशीलता आयेगी। इसके लिए थाना स्तर पर विशेषज्ञ विवेचनाधिकारियों की क्षमता विकसित करने एवं उनकी व्यवसायिकता बढाने की आवश्यकता होगी।

साइबर सेल में नियुक्त किये जाने वाली जनशक्ति का विवरण :–

क्रम संख्या	पद	संख्या कार्मिक
1	निरीक्षक	01
2	उप निरीक्षक	02
3	मुख्य आरक्षी/आरक्षी	02

प्रशिक्षण :–

- साइबर सेल में नियुक्त किये जाने वाले समस्त पुलिस कर्मियों को साइट्रेन के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जायेगा एवं इनको साइट्रेन में उपलब्ध Responder Track, Forensic Track एवं Investigation Track के Basic Module का आन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा, उक्त आन लाइन कोर्स प्रत्येक दशा में 02 माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाय।

थाना स्तर पर नियुक्त साइबर सेल का कार्य एवं दायित्व –

- थाना स्तर की साइबर काइम सेल द्वारा सामान्यतः एटीएम फ्राड, केडिट कार्ड फ्राड, वॉलेटफ्राड, fake profile, password hack आदि साधारण साइबर अपराधों की विवेचना की जायेगी।
- थाने पर नियुक्त साइबर सेल के प्रभारी अधिकारी निरीक्षक होंगे, जिनके निर्देशन में उपरोक्तानुसार टीम कार्य करेगी।
- थाने पर आने वाले साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को त्वरित कार्यवाही के माध्यम से सहायता प्रदान करना, यथा– एटीएम फ्राड या ऑनलाइन फ्राड की स्थिति में तत्काल आरोपी के खाते/वैलेट को सीज कराना, सोशल मीडिया सम्बन्धी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करना।
- थाने पर सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों के विवेचकों को तकनीकी सहायता प्रदान करना यथा साक्ष्य संरक्षण, साक्ष्य विश्लेषण एवं साक्ष्य संकलन।
- साइबर अपराध से सम्बन्धित प्राप्त प्रार्थना–पत्र की जॉच करना एवं उन पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करना।
- उक्त साइबर सेल आम जनता में साइबर अपराध की रोक थाम हेतु जागरूकता फैलायेंगें तथा साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्ति के थाने आने पर उसकी समस्या सुनकर यदि वह साइबर वित्तीय अपराध से पीड़ित है तो तत्काल उसकी सूचना/शिकायत साइबर हेल्पलाइन नम्बर–1930 पर एवं बेवसाइट www.cybercrime.gov.in पर दर्ज करवाने में मद्द करेंगे।
- साइबर सेल द्वारा साइबर हेल्प लाइन नम्बर–1930 के माध्यम से पीड़ित की freeze की गयी धनराशि को पीड़ित के बैंक खाते में वापस कराने हेतु सम्यक कार्यवाही करेंगे।
- पीड़ित व्यक्ति के साथ घटित हुये साइबर अपराध से सम्बन्धित साक्ष्य, आई0डी0 प्रोफाइल, पोस्ट व अन्य digital document आदि का स्क्रीन शाट सुरक्षित/archive करायेंगे।
- यदि संज्ञेय साइबर अपराध की घटना घटित हुई है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट हेतु थाना प्रभारी/साइबर सेल नोडल अधिकारी को अवगत करायेंगे।
- एन0सी0आर0पी0 पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की समय से जॉच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करेंगे।
- साइबर अपराध में संलिप्त/प्रयुक्त मोबाइल एवं फोन(IMEI) नम्बर को एन0सी0आर0पी0 पोर्टल के माध्यम से ब्लाक कराने की कार्यवाही करेगें।

- फर्जी नाम/आई0डी0 पर खोले गये बैंक खातों (Mule Account) में दिये गये मोबाइल नम्बर को एन0सी0आर0पी0 पोर्टल के माध्यम से ब्लाक कराना।
- साइबर सेल नोडल अधिकारी द्वारा एक रजिस्टर का रखरखाव किया जायेगा, जिसमें उपरोक्त सभी कार्यवाहियों का विवरण प्रति दिन अंकित किया जायेगा।
- साइबर सेल में तैनात समस्त कर्मचारीगण एवं राजपत्रित साइबर पर्यवेक्षण अधिकारी के नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर, ई–मेल आई0डी0 की सूचना समय–समय पर मुख्यालय साइबर क्राइम को उपलब्ध करायेंगे।

मुझे विश्वास है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन करने से बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अपेक्षित सफलता मिलेगी एवं पुलिस की छवि भी बेहतर होगी।

भवदीय,

(विजय कुमार)

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 (नाम से)।
समस्त पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, उ0प्र0 (नाम से)।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–</u>

1. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
2. समस्त जनपदीय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।